पत्रांक–योजना बजट–35/2015 /प०व०

बिहार सरकार

पर्यावरण एवं वन विभाग

प्रेषक,

रत्नेश झा,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

पटना–15, दिनांक–...../08/2015

विषय :– वित्तीय वर्ष 2015–16 से 2018–19 तक पटना के विभिन्न पार्कों के निर्माण, उन्नयन, रख–रखाव एवं प्रबंधन कार्य के लिए अनावर्ती व्यय के रूप में ₹3240.50 लाख एवं आवर्ती व्यय के रूप में ₹2375.84 लाख कुल ₹5616.34 लाख (छप्पन करोड़ सोलह लाख चौंतीस हजार ₹) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं इसके तहत् अनावर्ती व्यय के रूप में कर्णांकित राशि में से ₹1044.275 लाख तथा आवर्ती व्यय के रूप में कर्णांकित राशि में से ₹517.007 लाख कुल ₹1561.282 लाख (पन्द्रह करोड़ इकसठ लाख अठ्ठाईस हजार दो सौ ₹) वित्तीय वर्ष 2015–16 में व्यय की स्वीकृति का प्रस्ताव।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक पटना अवस्थित सभी पार्कों जो अन्य विभागों के अधीनस्थ संचालित है, उसे भी हस्तान्तरित कर समेकित रूप से उसका निर्माण, उन्नयन, रख–रखाव एवं प्रबंधन कार्य पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार, पटना द्वारा किया जाना है तथा इस कार्य के संपादन हेतु पार्क विकास एवं अनुरक्षण सोसाइटी का गठन किया जायेगा। प्रारंभ में इन कार्यों का संपादन वन प्रमंडल पदाधिकारी, पटना द्वारा किया जाना है एवं सोसाइटी गठन के पश्चात् इस कार्य का संपादन उक्त सोसाइटी के द्वारा किया जायेगा। इस क्रम में तत्काल नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना द्वारा 6 बड़े तथा 64 छोटे कुल समर्पित 70 पार्कों का निर्माण, उन्नयन, रख–रखाव एवं प्रबंधन कार्य से संबंधित वित्तीय वर्ष 2015–16 से 2018–19 तक चार वर्षों के लिए तैयार की गयी अनुलग्नक– 1 के रूप में संलग्न कार्य योजनाओं का क्रियान्वयन पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार, पटना द्वारा किया जाना है, जिसका क्रियान्वयन, मूल्यांकन आदि के बहुआयामी कार्यों में उत्कृष्टता की प्राप्ति के उद्देश्य एवं बेहतर प्रबंधन हेतु तत्काल तकनीकी कोषांग के रूप में एक पार्क प्रबंधन इकाई (PMU) का गठन किया जायेगा जो पटना वन प्रमंडल के साथ संलग्न रहेगा। इस PMU के अन्तर्गत संविदा आधारित कुल 21 अस्थायी पदों का सृजन किया जायेगा एवं उक्त पदों की सेवायें आउटसोर्सिंग/सेवानिवृत कर्मियों/प्रतिनियुक्ति से ली जायेगी, जिसके पारिश्रमिक भुगतान पर कुल ₹ 280.968 लाख का व्यय अनुमानित है।

2. उक्त आलोक में वित्तीय वर्ष 2015–16 से 2018–19 तक पटना के कुल 70 पार्को के (संलग्न अनुलग्नक 1 के अनुरूप) निर्माण, उन्नयन, रख–रखाव एवं प्रबंधन कार्य के लिए अनावर्ती व्यय के रूप में ₹ 3240.50 लाख एवं आवर्ती व्यय के रूप में ₹2375.84 लाख कुल ₹ 5616.34 लाख (छप्पन करोड़ सोलह लाख चौंतीस हजार ₹) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं इसके तहत् अनावर्ती व्यय के रूप में कर्णांकित राशि में से ₹1044.275 लाख तथा आवर्ती व्यय के रूप में कर्णांकित राशि में से ₹517.007 लाख कुल ₹1561.282 लाख (पन्द्रह करोड़ इकसठ लाख अठ्ठाईस हजार दो सौ ₹) वित्तीय वर्ष 2015–16 में व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

उक्त स्वीकृत योजना के क्रियान्वयन में अनावर्ती व्यय के रूप में कर्णांकित ₹ 3240.50 लाख (बत्तीस करोड़ चालीस लाख पचास हजार ₹ मात्र) का व्यय नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना द्वारा एवं आवर्ती व्यय के रूप में कर्णांकित ₹ 2375.84 लाख (तेईस करोड़ पचहत्तर लाख चौरासी हजार ₹ मात्र) का वहन पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार, पटना द्वारा किया जायेगा, जो निम्न तालिका के अनुसार वर्षवार व्यय हेतु राशि निर्धारित है:–

विभाग का नाम	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि				कुल
		2015–16	2016–17	2017–18	2018–19	
नगर विकास एवं आवास विभाग	अनावर्ती व्यय	104427500	133522500	61500000	24600000	324050000
पर्यावरण एवं वन विभाग	आवर्ती व्यय	51700750	56880825	61960900	67040975	237583450
	कुल:–	156128250	190403325	123460900	91640975	561633450

3. वर्णित 70 पार्को में विकास के कार्यो की कार्य योजना पटना नगर निगम से समन्वय कर तैयार की जाएगी। तद्नुसार राशि का आकलन कर संयुक्त प्रतिवेदन नगर विकास एवं आवास विभाग को भेजा जाएगा। उक्त प्रतिवेदन के आधार पर नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा पटना नगर निगम को अनावर्ती व्यय हेतु कर्णांकित राशि का आवंटन किया जाएगा और पटना नगर निगम के द्वारा वह राशि पर्यावरण एवं वन विभाग को हस्तांतरित की जाएगी। पटना नगर निगम से प्राप्त राशि की उपयोगिता प्रमाण–पत्र पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार, पटना द्वारा पटना नगर निगम एवं महालेखाकार, बिहार, पटना को भेजा जाएगा।

4. इस योजना में अनावर्ती व्यय हेतु कर्णांकित ₹3240.50 लाख नगर विकास एवं आवास विभाग के मुख्य शीर्ष 2217–शहरी विकास, उप मुख्य शीर्ष–01–राज्य की राजधानी का विकास, लघुशीर्ष–191–नगर निगम को सहायता, मांग संख्या–48, उपशीर्ष–0109–नगर क्षेत्र में नागरिक सुविधायें–सहायक अनुदान, विपत्र कोड–पी2217011910109, राज्य योजना, स्कीम कोड–URB 5080, के विषय शीर्ष–31 05 सहायक अनुदान– परिसंपत्तियों के निर्माण

अंतर्गत उपलब्ध उपबंधित राशि से विकलनीय होगी एवं आवर्ती व्यय हेतु कर्णांकित ₹2375.84 लाख (तेईस करोड़ पचहत्तर लाख चौरासी हजार ₹ मात्र) पर्यावरण एवं वन विभागीय मुख्य शीर्ष–2406–वानिकी तथा वन्यप्राणी, उप मुख्यशीर्ष–01–वानिकी, लघुशीर्ष–800–अन्य व्यय, मांग संख्या–19, उपशीर्ष–0105–पथ तट फार्म, विपत्र कोड–पी2406018000105, राज्य योजना स्कीम कोड–FOR 5056 के विषय शीर्ष–02 01–मजदूरी, 27 01–लघु कार्य तथा मुख्य शीर्ष–2406–वानिकी तथा वन्यप्राणी, उप मुख्य शीर्ष–01–वानिकी,लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, मांग संख्या–19, उप शीर्ष–01 03–पथ तट फार्म, विपत्र कोड–पी2406017890103, राज्य योजना स्कीम कोड–FOR 5056 के विषय शीर्ष–02 01–मजदूरी अंतर्गत उपलब्ध उपबंधित राशि से विकलनीय होगी।

5) अनावर्ती व्यय हेतु कर्णांकित ₹3240.50 लाख की निकासी पटना नगर निगम के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा की जायेगी तथा आवर्ती व्यय हेतु कर्णांकित ₹2375.84 लाख के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी वन प्रमंडल पदाधिकारी, पटना होंगे एवं उनके संबंद्ध कोषागार से इस राशि की निकासी की जायेगी।

6. योजना प्राधिकृत समिति की बैठक दिनांक–24.07.2015 की कार्यवाही ज्ञापांक–267/यो०प्रा० दिनांक–27.07.2015 द्वारा प्रस्ताव की स्वीकृति की अनुशंसा एवं दिनांक 30.07.2015 को मंत्रिपरिषद् की आहूत बैठक में मद सं०–21 के रूप में मंत्रीपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है।

7. प्रारूप में पृ०–29/टि० पर दिनांक–05.08.2015 को आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

8. इस राशि का आवंटन निकासी एवं व्यय बिहार कोषागार संहिता में उल्लिखित सुसंगत प्रावधानों एवं वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों तथा अद्यतन अनुदेशों के आलोक में की जायेगी।

9. इस राशि की निकासी हेतु महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

10. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास) बिहार, पटना सम्प्रति प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना के पत्रांक– 1836, दिनांक 18.05.2015 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्राक्कलन के अनुरूप ही योजनाओं को पूर्ण किया जायेगा। यदि योजना के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की अनियमितता होती है तो इसके लिए कार्यान्वयन एवं निरीक्षण/पर्यवेक्षण में संलग्न पदाधिकारियों की जिम्मेवारी होगी।

11. इस योजना में दिये गये प्रथम अग्रिम से कार्य योजना की गुणवत्ता एवं भौतिक प्रगति से पूर्णतः संतुष्ट होने तथा इसकी प्रविष्टि मापी पुस्तिका में हो जाने तथा तथा क्रियान्वयन संबंधी प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही सक्षम पदाधिकारी द्वारा अग्रिम की अगली किस्त निर्गत की जायेगी तथा स्वीकृत राशि के विरूद्ध कराये गये कार्यों का स्वयं संतुष्टि एवं स्थल जाँच संबंधी प्रमाण–पत्र संधारित किया जायेगा तथा भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।

12. कार्य स्थल पर कार्यों के नियमित पर्यवेक्षण प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना द्वारा किया जायेगा तथा अनुश्रवण की व्यवस्था कराने का दायित्व प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना का होगा। आम जनसाधारण की जानकारी एवं पारदर्शिता के निमित्त योजना की विवरणी का स्थल पर निर्धारित माप दण्ड के अनुसार सूचना पट्ट पर इसे प्रदर्शित किया जायेगा।

विश्वासभाजन
ह०/–
(रत्नेश झा)
सरकार के उप सचिव

अनुलग्नकः यथोक्त

ज्ञापांक–योजना बजट– 35/2015 /प०व० पटना–15, दिनांक–...../...../2015

प्रतिलिपि :– (सानुलग्नक) प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/आयुक्त, पटना नगर निगम, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–
(रत्नेश झा)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–योजना बजट– 35/2015 8316 **/प०व० पटना–15, दिनांक–**06**/**08**/2015**

प्रतिलिपि :– (सानुलग्नक) वित्त विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना/ प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव /विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/ संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/सहायक आंतरिक वित्तीय सलाहकार/बजट शाखा (दो प्रतियों में)/आई०टी० मैनेजर, पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

6/8/15
(रत्नेश झा)
सरकार के उप सचिव